महाराष्ट्र में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के संबंध में राज्य सरकार की नीति

महाराष्ट्र सरकार
संकल्प संख्या एसईजेड 2001/(152) / इंड-2
उद्योग, ऊर्जा एवं श्रम विभाग
मंत्रालय, मुंबई – 400032
दिनांक : 12 अक्टूबर, 2001

प्रस्तावना :

भारत सरकार ने निर्यात-आयात नीति 1997 – 2002 में संशोधन के माध्यम से वर्ष 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की संकल्पना शुरू की है।

एसईजेड विशेष रूप से अभिकल्पित किए गए ड्यूटी फ्री एंक्लेव हैं जिन्हें औद्योगिक, सेवा तथा व्यापार प्रचालनों के लिए विदेशी क्षेत्र समझा जाएगा तथा सीमा शुल्क से छूट प्राप्त होगी और अन्य लेवी, विदेशी निवेश तथा अन्य लेन-देन के संबंध में अधिक उदार व्यवस्था होगी। बाधामुक्त परिवेश का सृजन करने के लिए एसईजेड में घरेलू विनियमों, प्रतिबंधों तथा अवसंरचना की अपर्याप्तता को दूर करने का लक्ष्य है।

महाराष्ट्र राज्य आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने में सबसे आगे रहा है। एसईजेड स्कीम उत्पादकता तथा महाराष्ट्र में व्यवसाय करने की सरलता बढ़ाने के लिए सरल एवं पारदर्शी प्रणाली एवं प्रक्रियाएं सृजित करना चाहती है।

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एसईजेड सार्वजनिक, निजी या संयुक्त क्षेत्रों में या राज्य सरकारों द्वारा विकसित किए जा सकते हैं। इनसे विशाल, आत्मनिर्भर क्षेत्रों की स्थापना को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है तथा निर्यात उत्पादन के लिए विश्वस्तरीय अवसंरचना का निर्माण होगा। एसईजेड की संकल्पना की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने से आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की दृष्टि से राज्य में विशाल लाभांश प्राप्त होगा तथा रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी होगा। राज्य सरकार ने नवी मुंबई के पास तथा राज्य के अन्य भागों में एसईजेड का विकास करने की पहल की है।

एसईजेड स्थापित करने के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संदर्भ में एसईजेड के विकास के संबंध में नीति बनाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन रहा है। अब यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार द्वारा समय – समय पर एसईजेड के लिए निर्धारित रूपरेखा के अधीन निम्नलिखित नीति नवी मुंबई (द्रोणगिरी), औरंगाबाद, नागपुर, सिन्नार (नासिक जिला),

कागल (कोल्हापुर जिला), गुहागढ़ (रत्नागिरी जिला) में प्रस्तावित एसईजेड तथा महाराष्ट्र में किसी अन्य एसईजेड पर लागू होगी।

संकल्प :

पर्यावरण

1. **एसईजेड के अंदर यूनिटों एवं गतिविधियों के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अपेक्षित एनओसी, सहमति तथा अन्य स्वीकृतियां एसईजेड के नामित विकास आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में काम करने वाले बोर्ड के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएंगी। अनुबंध-1 में उल्लिखित गतिविधियां / परियोजनाएं जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 (4 मई, 1994 को यथा संशोधित) के तहत आती हैं, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेंगी। यदि भारत सरकार नामित विकास आयुक्त या एसईजेड के अंदर किसी अन्य प्राधिकारी को शक्तियां प्रत्यायोजित करती है, तो स्वीकृतियां तदनुसार प्राप्त की जा सकती हैं।**
2. **पर्यावरण विभाग की सरकारी संकल्प संख्या पर्यावरण – 1094/एसईएससी/ईआर-170/डेस्क-1; दिनांक 7 अगस्त, 1997 के अनुसरण में अनुबंध-2 और 3 में उल्लिखित परियोजनाओं एवं गतिविधियों को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने की राज्य सरकार की शक्तियां एसईजेड के नामित विकास आयुक्त में निहित होगी।**

जलापूर्ति :

3. एसईजेड प्राधिकारी एसईजेड के अंदर पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

विद्युत :

4. एसईजेड प्राधिकारी एसईजेड को सतत तथा अच्छी गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति का सुनिश्चय करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या उनके द्वारा प्रमोट किए गए संयुक्त उद्यम 'स्वतंत्र विद्युत उत्पादक' (आईपीपी) स्थापित कर सकते हैं जिसे एसईजेड के लिए टैरिफ निर्धारित करने के अलावा एसईजेड को विद्युत के समर्पित प्रावधान की स्थापना करने की अनुमति होगी जिसमें उत्पादन, पारेषण एवं वितरण शामिल है। एसईजेड प्राधिकारी को स्टैंड बाई व्यवस्थाओं का सुनिश्चय करना चाहिए। परस्पर स्वीकार्य शर्तों पर उनके द्वारा महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एमएसईबी) के साथ अलग से करार करने के अधीन आईपीपी को ग्रिड कनेक्टिविटी स्थापित करने की भी अनुमति होगी ताकि स्टैंड बाई

व्यवस्था के मामले में ग्रिड से विद्युत प्राप्त की जा सके। ऐसे एसईजेड में जिनके लिए कोई स्वतंत्र विद्युत उत्पादक स्थापित नहीं किया गया है, औद्योगिक यूनिटों तथा अन्य स्थापनाओं को कैप्टिव प्रयोग के लिए अपनी स्वयं की बिजली का उत्पादन करने की अनुमति होगी।

5. **ऊर्जा विभाग की अधिसूचना संख्या आईईएलडी-1002/सीआर-140/एनआरजी-1; दिनांक 6 जुलाई, 2001 के तहत सी, डी और डी प्लस क्षेत्रों में स्थापित नए उद्योगों तथा प्रोत्साहन पैकेज स्कीम 2001 के तहत राज्य के उद्योग विहीन जिला (जिलों) के उद्योगों को 15 साल की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई है। यह ऐसे क्षेत्रों में स्थित एसईजेड में नए उद्योगों पर भी लागू होगा। राज्य के शेष क्षेत्रों में अन्य स्थानों पर तथा एसईजेड में स्थापित यूनिटों को 10 साल की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई है। यह छूट उत्पादन आरंभ होने या सेवाएं प्रदान करने की तिथि से एसईजेड में यूनिटों पर लागू है।**

राज्य कर, शुल्क, स्थानीय कर एवं लेवी

6. **एसईजेड के विकासकों, एसईजेड के अंदर औद्योगिक यूनिटों तथा अन्य स्थापनाओं को एसईजेड के अंदर यूनिटों / स्थापनाओं के बीच किए गए सभी लेन-देन के संबंध में तथा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से यूनिटों / स्थापनाओं को माल एवं सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में बिक्री कर, क्रय कर, पथ कर, उपकर आदि सहित सभी राज्य तथा स्थानीय करों एवं लेवी से छूट प्राप्त होगी। यदि कर प्रणाली की बाधाओं के कारण लेन-देन को सीधी छूट प्रदान करना उचित नहीं होगा, तो भुगतान किए गए राज्य करों की पूर्णत: प्रतिपूर्ति की जाएगी।**
7. **एसईजेड में स्थित सभी औद्योगिक यूनिटों तथा उनके विस्तारों को, राज्य के अंदर उनका लोकेशन जो भी हो, राजस्व विभाग के आदेश संख्या मुद्रांक 2000/4229/सीआर-1064/एम-1; दिनांक 5 मई, 2001 में निहित सी, डी, डी प्लस तथा उद्योग विहीन जिलों में औद्योगिक यूनिटों के लिए प्रदान की गई छूट के आधार पर 31 मार्च, 2006 तक स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होगी।**

श्रम विनियम

8. **एसईजेड के अंदर क्षेत्र के संबंध में श्रम आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार की शक्तियां नामित विकास आयुक्त या अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित की जाएंगी। इस प्रयोजनार्थ अनन्य कार्मिकों की तैनाती के माध्यम से अथवा अन्य उपायों के माध्यम से स्वयं एसईजेड के**

अंदर औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय तथा स्टीम बायलर निदेशालय से विभिन्न अनुज्ञप्तियां प्रदान करने के लिए तौर-तरीके तैयार किए जाएंगे ताकि विभिन्न श्रम कानूनों से संबंधित स्वीकृतियां एसईजेड में एकल बिंदु पर प्रदान की जा सकें। आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर एसईजेड के अंदर औद्योगिक यूनिटों तथा अन्य स्थापनाओं का इन एजेंसियों द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए एसईजेड के विकास आयुक्त या अन्य नामित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अपेक्षित होगी।

9. एसईजेड में सभी औद्योगिक यूनिटों तथा अन्य स्थापनाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत 'पब्लिक यूटिलिटी सर्विस' के रूप में घोषित किया जाएगा।

10. महाराष्ट्र औद्योगिक नीति, 2001 के अनुसरण में तथा विधायी अनुमोदन एवं भारत सरकार की सहमति के अधीन औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित संशोधनों में अन्य बातों के साथ 300 या अधिक कामगारों को नियुक्त करने वाले उद्योगों पर अध्याय 5 (ख) की प्रयोज्यता को सीमित करना आदि शामिल है। इसी तरह, संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि कुछ परिधीय सेवा गतिविधियों को इसके दायरे से बाहर रखा जा सके। यदि प्रस्ताव के अनुसार इन कानूनों में संशोधन करना संभव नहीं पाया जाएगा, तो केवल एसईजेड के अंदर यूनिटों एवं स्थापनाओं के लिए समान संशोधनों के लिए प्रस्ताव किए जाएंगे।

एसएसआई और आईटी पंजीकरण

11. अनंतिम एवं स्थाई लघु उद्योग पंजीकरण तथा मंशा पत्र और सूचना प्रौद्योगिकी यूनिटों को पंजीकरण प्रदान करने की शक्ति एसईजेड में यूनिटों के संबंध में विकास आयुक्त या अन्य नामित प्राधिकारी को प्रत्यायोजित की जाएगी।

औद्योगिक टाउनशिप के रूप में एसईजेड

12. राज्य सरकार एसईजेड को औद्योगिक टाउनशिप के रूप में घोषित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगी ताकि एसईजेड आत्मनिर्भर, स्वायत्त नगरपालिका निकाय के रूप में काम कर सके।

कानून व्यवस्था

13. **राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसईजेड के अंदर उपयुक्त एवं अनन्य व्यवस्था करेगी।**

14. **राज्य सरकार राज्य में एसईजेड के संवर्धन, विकास एवं कार्यकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एसईजेड के प्राधिकरणों / प्रमोटरों के प्रतिनिधियों सहित सचिवों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों की समिति गठित करेगी।**

यह सामान्य आदेश यूआर संख्या 1581 दिनांक 6 अक्टूबर, 2001 (कर) के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश द्वारा तथा उनके नाम में

(वी एस धूमल)
सचिव, महाराष्ट्र सरकार

अनुबंध-1

ऐसी परियोजनाओं की सूची जिनके लिए केंद्र सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति अपेक्षित है

1	परमाणु विद्युत तथा संबद्ध परियोजनाएं जैसे कि हैवी वाटर प्लांट, परमाणु ईंधन परिसर, दुर्लभ मिट्टी
2	नदी घाटी परियोजनाएं जिसमें हाइडल पावर, बड़ी सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण सहित उनका संयोजन शामिल है
3	बंदरगाह, हार्बर, एयरपोर्ट (छोटे पोर्ट और हार्बर को छोड़कर)
4	क्रूड और प्रोडक्ट पाइप लाइन सहित पेट्रोलियम रिफाइनरी
5	केमिकल फर्टिलाइजर (एकल सुपर फास्फेट से भिन्न नाइट्रोजन एवं फास्फोरस युक्त)
6	पेस्टिसाइड (तकनीकी)
7	पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स (ओल फिनिक तथा एरोमेटिक दोनों) तथा पेट्रो केमिकल इंटरमीडिएट जैसे कि डीएमटी, कैस्ट्रोलटम, एलएबी आदि तथा बेसिक प्लास्टिक जैसे कि एलडीपीई, एचडीपीपी, पीपी, पीवीसी का उत्पादन
8	बल्क ड्रग तथा फार्मास्यूटिकल
9	तेल एवं गैस के लिए अन्वेषण एवं उनका उत्पादन, परिवहन एवं भंडारण
10	सिंथेटिक रबर
11	एस्बेस्टोस तथा एस्बेस्टोस के उत्पाद
12	हाइड्रोसेनिक एसिड तथा इसके डेरिवेटिव
13	(क) प्राथमिक धातु उद्योग जैसे कि आयरन एवं स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, लीड तथा फेरो एलाय का उत्पादन (ख) इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (मिनी स्टील प्लांट)
14	क्लोरो अल्काली उद्योग
15	पेंट के निर्माण में अपेक्षित रेजिन एवं बुनियादी कच्चे माल का उत्पादन सहित एकीकृत पेंट कॉम्पलेक्स
16	विस्कोस स्टेपल फाइबर और फिलामेंट यार्न
17	लीड ऑक्साइड तथा लीड एंटीमनी अलाय के निर्माण के साथ एकीकृत स्टोरेज बैटरी
18	हाई टाइड लाइन से 200 से 500 मीटर के बीच स्थित या 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित सभी पर्यटन परियोजनाएं जिनमें निवेश 5 करोड़ रुपए से अधिक है
19	थर्मल पावर प्लांट
20	5 हेक्टेयर से अधिक पट्टा के साथ खनन परियोजनाएं (प्रमुख खनिज)
21	हाइवे परियोजनाएं
22	हिमालय और/या वन क्षेत्र में तारकोल की सड़कें
23	डिस्टलरी
24	रॉ स्किन एवं खाल
25	पल्प, पेपर एवं न्यूज प्रिंट
26	डाई
27	सीमेंट
28	फाउंड्री (व्यक्तिगत)

29	इलेक्ट्रोप्लेटिंग

अनुबंध-2

ऐसी परियोजनाओं की सूची जिनके लिए भारत सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति अपेक्षित है यदि निवेश 50 करोड़ रुपए से अधिक है और महाराष्ट्र सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति अपेक्षित है यदि निवेश 50 करोड़ रुपए से कम तथा 3 करोड़ रुपए से अधिक है

1	परमाणु विद्युत तथा संबद्ध परियोजनाएं जैसे कि हैवी वाटर प्लांट, परमाणु ईंधन परिसर, दुर्लभ मिट्टी
2	नदी घाटी परियोजनाएं जिसमें हाइडल पावर, बड़ी सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण सहित उनका संयोजन शामिल है
3	बंदरगाह, हार्बर, एयरपोर्ट (छोटे पोर्ट और हार्बर को छोड़कर)
4	क्रूड और प्रोडक्ट पाइप लाइन सहित पेट्रोलियम रिफाइनरी
5	केमिकल फर्टिलाइजर (एकल सुपर फास्फेट से भिन्न नाइट्रोजन एवं फास्फोरस युक्त)
6	पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स (ओल फिनिक तथा एरोमेटिक दोनों) तथा पेट्रो केमिकल इंटरमीडिएट जैसे कि डीएमटी, कैस्ट्रोलटम, एलएबी आदि तथा बेसिक प्लास्टिक जैसे कि एलडीपीई, एचडीपीपी, पीपी, पीवीसी का उत्पादन
7	तेल एवं गैस के लिए अन्वेषण एवं उनका उत्पादन, परिवहन एवं भंडारण
8	सिंथेटिक रबर
9	हाइड्रोसेनिक एसिड तथा इसके डेरिवेटिव
10	(क) प्राथमिक धातु उद्योग जैसे कि आयरन एवं स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, लीड तथा फेरो एलाय का उत्पादन (ख) इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (मिनी स्टील प्लांट)
11	क्लोरो अल्काली उद्योग
12	विस्कोस स्टेपल फाइबर और फिलामेंट यार्न
13	लीड ऑक्साइड तथा लीड एंटीमनी अलाय के निर्माण के साथ एकीकृत स्टोरेज बैटरी
14	हाइवे परियोजनाएं
15	पल्प, पेपर एवं न्यूज प्रिंट
16	सीमेंट
17	थर्मल पावर प्लांट, निम्नलिखित को छोड़कर जिसके लिए भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 19(अ); दिनांक 10 अप्रैल, 1997 के माध्यम से राज्य सरकार को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, भले ही निवेश 50 करोड़ रुपए से अधिक हो। I. सह उत्पादन कैप्टिव प्लांट : (क) सह उत्पादन प्लांट – सभी सह उत्पादन प्लांट, उनकी संस्थापित क्षमता जो भी हो (ख) कैप्टिव पावर प्लांट – 250 मेगावाट तक (कोयला एवं गैस / नाप्था दोनों आधारित) जो अलग से, न कि मुख्य उद्योग के साथ आते हैं। II. यूटिलिटी परियोजनाएं : (क) संवेदनशील क्षेत्र प्रतिबंध के अधीन तरल बेड प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले 500 मेगावाट तक के

	कोयला आधारित प्लांट (ख) परंपरागत प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करने वाले 250 मेगावाट तक के कोयला आधारित प्लांट (ग) 500 मेगावाट तक के गैस / नाप्था आधारित प्लांट आरक्षित वनों, पारिस्थितिकीय की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र जिसमें राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, बायो स्फीयर, रिजर्व शामिल हो सकते हैं, अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र की सीमा से 25 किमी की परिधि के अंदर तथा इंटर स्टेट बाउंड्री से 50 किमी के अंदर स्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी परियोजना के लिए केंद्र सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। उपर्युक्त ताप विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार की संशोधित अधिसूचना संख्या का.आ. 319(अ); दिनांक 10 अप्रैल, 1997 में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा अभिशासित होगी।

अनुबंध-3

लघु औद्योगिक यूनिटों तथा 3 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को छोड़कर

1	क्रोम टैनिंग
2	ग्लू एवं गिलाटिन
3	डिटर्जेंट
4	जिंक, कॉपर और लीड पिघलाना
5	चीनी का निर्माण (खांडसारी को छोड़कर)
6	टायर एवं ट्यूब (वल्केनाइजेशन, रिट्रिडिंग तथा माउल्डिंग कोक छोड़कर)
7	लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस या पेट्रोलियम उत्पाद (अपशिष्ट सामग्री की प्रोसेसिंग)
8	एसिड जैसे कि सलफ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड का निर्माण
9	सिंगल सुपर फास्फेट का निर्माण
10	कोक का निर्माण, कोयला तरलीकरण या ईंधन, गैस निर्माण
11	फास्फोरस तथा इसके यौगिकों एवं कैल्शियम कार्बाइड का निर्माण
12	कार्बन ब्लैक
13	बूचड़खाना, मांस प्रसंस्करण तथा अस्थि मिल
14	सिगरेट सहित तंबाकू प्रसंस्करण / तंबाकू उत्पाद